Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RLM/6/2015/MHOME2/SEOTH/RU-III Date: 21.01.2020

To,

1. Secretary,
Ministry of Home Affairs,
Department of official Language,
NDCC Building-II Jai Singh Road,
New Delhi- 110001

2. Secretary,
Department of Personnel Training,
North Block,
New Delhi- 110001

Sub: Minutes of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 13.12.2019 on the issue of by promotion.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13-12-2020 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri. Ramcharan Lal Meena,
Retd. Joint Director (Rajbhasha),
Archaeological Survey of India,
Janpath New Delhi.

2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 13.12.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने व पूर्व पदों पर भी पदोन्नति में विलंब करने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था। अभ्यावेदक द्वारा बताया गया था कि उनकी सेवा एवं सेवा दस्तावेजों के पूर्ण होने पर भी डीपीसी मई, 2016 में की गई जबकि वे चयनित सूची 2011-12 में थे। विभाग द्वारा उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित रखा गया। प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2019 को बैठक आहूत की गई। इस संबंध में दिनांक 04.12.2019 को सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) और सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को बैठक का नोटिस भेजा गया था।
2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2019 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा निम्नानुसार है -
    - प्रकरण में अभ्यावेदक द्वारा पुनः एक लिखित शिकायत राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाए।
    - राजभाषा विभाग सभी मामलों पर अभ्यावेदक को उचित जवाब प्रस्तुत करे साथ ही विभाग द्वारा इस मामले में गंभीरता से विचार किया जाए।
    - उर्वरक विभाग के पत्र संख्या – F-23011/16/2016-HR-II 22 अगस्त 2016 के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सेवा-निवृत्ति के पश्चात, निदेशक (राजभाषा) के पद पर दिनांक 01.12.2000 से पदोन्नति दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में भी कार्रवाई की जाए।
    - संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति की अर्हता प्राप्त करने की अवधि में यदि कोई डीपीसी की गई है तो अभ्यावेदक को उसमें शामिल करें।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- यदि किसी कार्मिक ने अपनी सेवा भली-प्रकार पूरी की है और उसके दस्तावेज पूर्ण है तो ऐसे मामले में डीपीसी में हुई देरी के लिए डीओपीटी ऐसे कार्मिक को लाभ देने के लिए समुचित कार्यवाही करे ताकि डीपीसी होने में हुई देरी का नुकसान कार्मिकों को न भुगतना पड़े। ऐसी स्थिति में कार्मिकों को रिक्ति वर्ष से ही नियमित माना जाना चाहिए न कि डीपीसी होने की तारीख से।

3. दिनांक 13.12.2019 को आहूत बैठक में श्री संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग व श्री बी.एल मीणा, निदेशक तथा श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग व श्री आर. के. सिन्हा, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उपस्थित हुए। आयोग द्वारा अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, श्री रामचरण लाल मीणा ने बताया कि तथ्यों के आधार पर आयोग में पहले दो बार बैठक हो चुकी हैं। आयोग द्वारा कहा गया था कि अगर इनके पात्रता सेवा काल में डीपीसी हुई है तो इन्हें भी पदोन्नति देनी होगी।
4. विभाग ने प्वाइंट बेस रोस्टर के लागू होने के पश्चात् नियम विरूद्ध एस.टी. के पद को एस.सी. को दिया। "चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है" वाक्यांश का आधार नियमित पदोन्नति के स्थान पर तदर्थ पदोन्नति को लिया गया। वर्ष 1998 में 07 पद एस.सी. के लिए 03 पद एस.टी. के लिए निर्धारित थे। उस समय कार्यरत कार्मिक एस.सी.10 (08 नियमित 02 तदर्थ) और एस.टी. का 01 थे।
5. एक्सटेंडेड जोन (1998) में एस.सी. को पदोन्नति (तदर्थ) दी गई एस.टी. को नहीं, जबकि एस.टी. की (जी.एल. सिंह) नियमित सेवा एस.सी. (मोहन सिंह) से अधिक थी। अभ्यावेदक की सेवा भी 05 वर्ष थी, उसे भी आगे 5 से अधिक वर्ष से तदर्थ पदोन्नत किया जा सकता था, पूर्व में 1995 में अमरनाथ आदि को 5 से अधिक वर्ष में तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। वर्ष 2002 में हुई डीपीसी के लिए एस.टी. के पद को भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को छूट संबंधी टिप्पणी में न तो वस्तुस्थिति का हवाला दिया गया (कार्मिक की सेवा 7500 के वेतनमान में 5 वर्ष और 6500 के वेतनमान में 2 वर्ष 04 माह तथा यह वेतनमान सीएसएस में पूर्व में स्थापित है तथा संशोधित आरआर बनाए जा रहे हैं) न हीं समर्थन में संशोधित आरआर पेश किए।
6. संयुक्त सचिव राजभाषा ने बताया कि इन्हें सही समय पर पदोन्नति दे दी गई थी ।
7. अभ्यावेदक ने बताया कि भारत सरकार में उन्हें भी कार्य का अनुभव है, अधिकारी स्तर पर संपर्क से हिन्दी/अंग्रेजी के ड्राफ्ट विधि मंत्रालय से समीक्षा करवाकर अपेक्षित समय में (महीनों मे भी) तैयार हो जाते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय में मैंने आरआर देखे और लगभग 15 पृष्ठ के आरआर में आंशिक संशोधन किए हैं, अधिकांश पृष्ठ पूर्ववत: हैं। वर्ष

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

1996 में पदोन्नत हुए कार्मिकों की नियमित सेवा डीपीसी के समय 6 वर्ष से थोड़ी अधिक थी और मेरी सेवा 2002 (दिसंबर) में 9 वर्ष से अधिक थी वह भी उच्चतर वेतनमान में, विभाग वेतनमान से ही सेवा अवधि निर्धारित करता है। इससे प्रमाणित होता है कि विभाग लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों को भरने में गंभीर नहीं था और नियम विरूद्ध भी एस.सी. को संरक्षण प्रदान करना चाहता था, यह मामला भेदभाव पूर्ण था।

8. संयुक्त सचिव राजभाषा ने बताया कि अभ्यावेदक ने यह मामला पहले नहीं उठाया। फरवरी, 2000 के सचिव राजभाषा को अभ्यावेदन की प्रति (प्राप्ति स्लिप सहित) संलग्न है।

9. अभ्यावेदक ने बताया कि वर्ष 2013 (जुलाई) की डीपीसी में उनके दस्तावेज पूर्ण रहने पर भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि उनके साथ हुए तदर्थ पदोन्नति वाले कार्मिक को डीपीसी में शामिल किया गया। चयन वर्ष का उपयोग वरिष्ठता क्रम संबंधी दस्तावेज पूर्ण रखने के लिए होता है न कि वर्ष में रिक्तियों को भरने में जिसे आगे वर्षों की डीपीसी प्रमाणित करती हैं। डीपीसी का क्रम भी बदला गया, उपनिदेशक की डीपीसी के पूर्व संयुक्त निदेशक की डीपीसी होनी चाहिए थी।

10. संयुक्त सचिव राजभाषा ने बताया कि 2013 की डीपीसी इनके लिए नहीं थी, वह तीन वर्ष पहले (2010-2011) पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए की गई थी, इनकी तीन वर्ष पश्चात् 2016 में की गई।

11. संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि अलग से डीपीसी सिर्फ उन्हीं कार्मिकों की जाती है जो मूल डीपीसी से किसी कारण से छूट गए हैं इनके संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है।

12. अभ्यावेदक ने बताया कि उन्होंने पिछली बैठक में संयुक्त सचिव डीओपीटी से एक प्रश्न पूछा था कि यदि कोई विभाग डीपीसी को दण्ड और पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल करता है तो इस संबंध में पीड़ित के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास क्या न्याय है? इस प्रश्न का विभाग ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

13. अभ्यावेदक ने बताया कि उनके लिए तो आयोग ही न्यायालय है। उन्होंने उदाहरण द्वारा बताया कि किस प्रकार सही समय पर डीपीसी करने से राजभाषा सेवा में एलडीसी से बिना किसी प्रतियोगिता के निदेशक पद पर पहुंच गए। अभ्यावेदक को राजभाषा विभाग ने कोई पदोन्नति नहीं दी यह लाभ तो उन्हें दो एसीपी में भी मिलते

।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

14. बैठक में आयोग के माननीय सदस्य डामोर जी ने यह जानना चाहा कि इनकी डीपीसी पात्रता रखने में 2013 में क्यों नहीं की गई। डीओपीटी केवल अनुदेश जारी कर देती है, मॉनीटरिंग रखने की व्यवस्था नहीं है।

15. अभ्यावेदक ने बताया कि ये कह रहे हैं हमने 2013 में 3 वर्ष पूर्व (2010-11) पात्रता रखने वालों को डीपीसी की और इस वर्ष पात्रता वालों की 2016 में की गई। बल्कि 2016 में शेष सभी की डीपीसी कर ली गई और 2017 में पद रिक्त होने के पूर्व ही डीपीसी की गई तथा वर्ष 2018 में 04 बार डीपीसी की गई जिस पर चर्चा पिछली बैठक में हुई थी।

16. बैठक में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है-

- राजभाषा विभाग सभी मामलों में अभ्यावेदक को उचित जवाब पुन: प्रस्तुत करें, विभाग इस मामले में गंभीरता से विचार करें।
- विभाग की गलती से डीपीसी को हुई देरी के लिए पीड़ित को न्याय दिलाने के संबंध में डीओपीटी नियमों में प्रावधान करें।
- रघुनाथ सिंह के मामले में सीएटी के संगत प्रावधानों को इस मामले में भी लागू करे।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

16.01.2020

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची -

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. डॉ. नंद कुमार साय, — माननीय अध्यक्ष महोदय
  2. श्री ए. के सिंह, — सचिव
  3. श्री के. तऊथांग, — संयुक्त सचिव
  4. डॉ ललित लट्टा, — निदेशक
  5. श्री आर. के. दुबे, — स. निदेशक
  6. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, — परामर्शक
- **राजभाषा विभाग के अधिकारी**
  1. श्री संजीव कुमार जिंदल, — संयुक्त सचिव
  2. श्री बी.एल मीणा, — निदेशक
- **कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग**
  1. श्रीमती जी. जयंथी, — संयुक्त सचिव
  2. श्री आर.के सिन्हा, — अवर सचिव
- **अभ्यावेदक**

  श्री रामचरण लाल मीणा